International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

नालन्दा जिला के अस्थावाँ प्रखण्ड में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिको कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का एक अध्ययन

चन्दन कुमार, शोधकर्त्ता

विभाग– आई.आर.पी.एम.

विश्वविद्यालय– तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार

पंजीयन संख्या– 228170003 / 2022

भारत में कुल कार्यबल का 92 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र मे कार्यरत है। निर्माण उद्योग में श्रमिको का 50 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में काम करते है। जिसमे अस्थावाँ प्रखण्ड के जनसंख्या लगभग 2011 के अनुसार 163938 है जिसमें साक्षरता दर 48.4 प्रतिशत लिंग अनुपात 939 है जिसमें भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिको की संख्या लगभग 3503 है जो संख्या के लगभग 21 प्रतिशत श्रमिक है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे है।

अस्थावाँ का संक्षिप्त परिचय

अस्थावाँ ग्रामीण बिहार के नालन्दा जिला में स्थित 20 प्रखण्डों में से एक है। प्रशासन रजिस्ट्रर के अनुसार अस्थावाँ का प्रखण्ड कोड 373 है। बिहार राज्य द्वारा अस्थावाँ नगर पंचायत के रूप में मंजुरी दी गयी है। यह पटना प्रमण्डल के अन्तर्गत आता है। मैथिलि यहाँ की स्थानीय भाषा है इसके अलावा लोग हिन्दी, उर्दू भी बोलते है। यहाँ कुल लगभग 111 गाँव और 19 पंचायतों में फैली हुई है।

साहित्य

भारत नव विकसित प्रौद्योगिकियों की शुरूआत के साथ औद्योगिकरण किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। जिसमें भवन एवं सहनिर्माण श्रमिको के द्वारा ही विकास का आधार है जिसमें दशभर में इतिहास के बहुतो ऐसे आयाम देखे जा सकते हैं, जिसके कारण निम्नप्रकार के औद्योगिक विकास हुआ है जो श्रमिको के द्वारा ही संभव है।

अस्थावाँ के संदर्भ में नालन्दा जिला के अन्तर्गत इतिहास के द्वारा– नालन्दा खण्डर, विश्व शांति स्तूप अमावा के द्वारा बाबू बैजनाथ सिंह के पुत्र बाबू करमचंद्र के द्वारा बना (1860 / 70 दशक 52 कमरा, 53 दरबाजा) जिसे 52 कोठी 53 द्वार भी कहा जाता है।

आधुनिक नालन्दा जिला के विकास में श्रमिको का योगदान इस तरह देखा जा सकता है जैसे बारूद कारखाना, हरनौत रेल कोच मरम्मत कारखाना, नालन्दा का गारव नालन्दा विश्वविद्यालय, नालन्दा जिला का फौरलाईन सड़क (जो बिहार और झारखण्ड) को जोड़ती है, नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय, नव नालन्दा महाबिहार विश्वविद्यालय,

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

विम्स अस्पताल और सैनिक स्कूल इत्यादि ऐसे अनगिनत विकास देखा जा सकता है। जो श्रमिको के द्वारा ही संभव हो सकता है।

निर्माण कार्य के लिए सदा श्रमिकों की आवश्यता पड़ती है जिसमें ज्यादातर श्रमिक अंसगठित क्षेत्र में रहते है जिन्हें समाज की सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है और नहीं जानकारी रहती है। ऐसा इसलिए रहता है कि वे श्रमिक अशिक्षित देखे जाते ह।

श्रमिक सशक्त, खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत के सपने में श्रमिकों के सशक्तिकरण की जरूरत है, आजादी के 7 साल बाद भी लगभग 9 फीसदी मजदूर असगठित क्षेत्र में काम करते है जिनको सभी सामाजिक सुरक्षा सुवधिाएं प्राप्त नहीं है। देशमें श्रमिक वर्ग की संख्या संगठित व असंगठित क्षेत्र में 50 करोड़ से ज्यादा है। पहले श्रमिक वर्ग जो कई कानूनों के जाल में उलझे हुए थे। उन्हें सही मायने में आजादी दिलाने की दिशा में केन्द्र सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है।

इसके लिए केन्द्र सरकार ने 29 कानूनों को अब सिर्फ चार कोड मे समाहित कर आसान (सरल)करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है ताकि अब श्रमिकों को सम्मान के साथ सुरक्षा भी सेहत भी और सहूलियत भी सरलतापूर्वक मिलें।

निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा

केन्द्र सरकार मजदूरों के कल्याण सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा और सवंर्धन के लिए प्रतिबद्वद्ध है। भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 और केन्द्रीय नियम 1998 भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के रोजगार उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों और उनसे जुड़े या उनके आनुषगिक अन्य मामलों के लिए प्रावधान करते हैं।

अतंर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत इसक सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति गहरा सम्मान रखता है। भारत सरकार ने हमेशा श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संम्बन्धित सम्मेलनों के संबंध में के मुल सिद्धांतों को बरकरार रखा है। BOCW (R E & C S) अधिनियम 1996 के प्रावधान और इसके तहत बनाये गये नियम व्यापक कानून है। जिनमें अतंर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेशन संख्या 167 के अनुसार निर्माण स्थल पर कल्याण, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय निर्धारित किये गये है।

सुरक्षा से सम्बन्धित प्रावधान BOCW Act 1996 के अध्याय VII में शामिल है और इन्हें अधिनियम केन्द्रीय नियम 1998 का अध्याय XIII नियम 199 से 168 के तहत उत्खन्न और सुरंग निर्माण कार्यो के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। जिससे केन्द्रीय क्षेत्र में निर्माण स्थलों पर काम करने वाल श्रमिकों के सुरक्षा उपयों को सुनिश्चित किया जा सके।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

केन्द्रीय नियम 1998 के नियम 36 के अनुसार यदि किसी निर्माण स्थल पर 500 से अधिक भवन निर्माण श्रमिक कार्यरत है तो निभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि आग और विस्फोट लिफ्टिंग उपकरणों और परिवहन उपकरणों के ढहने के ढहने गैस रिसाव या खतरनाक सामान या रसायनों के फैलने, भवन श्रमिकों के दबने, बाढ़, तुफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार की जाय और उसे BOCW अधिनियम 1996 के तहत निरीक्षण महानिदेशक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाये।

सरकार इस प्रकार के दुर्घटनाओं का संज्ञान लेने तथा समय पर उचित कारवाई करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। हाल ही, में उत्तरकाशी के सिल्क्यारा मे हुई दुर्घटना मे मुख्य उद्देश्य मजदूरों की किमती जान बचाना था। इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि वह स्थल एक पहाड़ी क्षेत्र था और इसमे विभिन्न तकनीकी संसाधनों और अन्य पेचीदगियां शामिल थी लेकिन पूरा सरकारी तंत्र ने योजनावबद्ध तरीके से और स्थानीय प्रशासन की मदद से सभी एहतियाती उपाय करते हुए तथा केन्द्र सरकार की उचित निगरानी में सभी फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

यह जानकारी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज (दिनांक 05/02/2024) लोकसभा मे लिखित उत्तर दे दी।

शोध कार्य का विश्लेषण

शोध कार्य में प्राप्त जानकारी के आधार से ज्ञात होता है कि कुल 100 श्रमिकों में से ज्यादातर लोग अलग–अलग जाति और वर्ग से जाते हैं, जिसे सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति।

क्र०सं०	जाति/वर्ग	पुरूष	महिला	कुल संख्या
1	सामान्य	02	00	02
2	पिछड़ा वर्ग	08	01	09
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	25	09	34
4	अनुसुचित जाति	39	16	55
5	अनुसुचित जनजाति	00	00	00

सारणी–1 कुल 100 श्रमिकों के कोटिवार सारणी का अध्ययन (सर्वे से प्राप्त जानकारी)

निर्माण कार्य के श्रमिको को औसत आयु लगभग इस प्रकार से है जिसमें विवाहित एवं अविवाहित की संख्या का अध्ययन किया गया है जिसमें महिला एवं पुरूष वर्ग के अलग–अलग अध्ययन का आकड़ा का सारणी दिया गया है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

वैवाहिक स्थिती मे श्रमिकों का अध्ययन

वैवाहिक स्थिति	लगभग उम्र	महिला	पुरूष	कुल संख्या
अविवाहित	18 से 22	01	18	19
विवाहित	22 से 40	06	75	81
कुल संख्या				100

सारणी संख्या–2

इस सारणी मे अविवाहित की संख्या–19 है जिसकी आयुसीमा 18 से 22 रखा गया था एवं विवाहित की संख्या–81 है जिसमें पुरूष वर्ग –75 एवं महिला–06 है जिसकी आयुसीमा वर्ग 22 में 40 वर्ष लगभग रखी गई थी। यह सारणी शोध प्रश्नावली के द्वारा एकत्र आकड़ा से प्राप्त हुई है। साईकिल के संदर्भ में पता चला है कि नजदीक के गॉव में काम करते है इसलिए पैदल आते–जाते हैं। इसलिए साईकिल रखने वाले श्रमिक 39 है नहीं रखने वाले 61 है। बीमा पॉलिसी के बारे में पता चलता है कि जिसकी अधिक आमदनी है वो बीमा पॉलिसी करते है वो भी परिवारिक दबाव में जिसकी संख्या–76 है नहीं बीमा पॉलिसी वाले 24 है।

सामान्य सामाजिक जानकारी

क्रम सं०	स्थिती	संख्या–100
1	आवास स्वयं का	100
	किराये का	00
2	खेती है	89
	खेती नहीं है	11
3	साईकिल है	39
	साईकिल नहीं है	61
4	बीमा पॉलिसी है	76
	बीमा पॉलिसी नहीं है	24

सारणी संख्या–3

शोध कार्य से पता चला है कि ग्रामीण इलाके के श्रमिकों को अपने घर से रहकर का पर जाते है जिसका संख्या–100 है। खेती के संदर्भ में पता चला है कि खेती है लेकिन थोड़ी बहु है इसिलए ज्सादातर लोग श्रमिक कार्य में लगे हुए हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

आर्थिक स्थिती

क्रम सं०	मासिक आय में	संख्या 100
1	5000 – 10,000	41
2	10000 – 15000	39
3	15000 – 2000	12
4	20,000 से उपर	8

सारणी संख्या–4 100

इस सारणी में दर्शाया गया है कि वैसे श्रमिक एवं मिस्त्री वर्ग के काम करने वाले की आर्थिक स्थिती है जो लगातार श्रमिक कार्य में लगे हुए है जिनकी मासिक आय जो मजदूरी कार्य में है 5000 से 10,000 के बीच की संख्या–41 है जो सिर्फ अकुशल मजदूर कार्य में है। 10,000 से 15,000 के बीच की मासिक आय वैसे कामगार की जो मिस्त्री से कुछ कार्य सिख कर कार्य कर रहे हैं जिनकी संख्या– 39 है। 15,000 स 20,000 तक कमाने वाले में से ज्यादा तर राजमिस्त्री है जिसकी संख्या–12 है। 20,000 से उपर की मासिक आय प्राप्त करने वाले कामगार ज्यादातर किसी एक कार्य में कुशल है जैसे – पलम्बर, इलेक्ट्रिशयन, पेन्टर इत्यादि है जिसकी संख्या–8 है।

सामान्य आर्थिक स्थिती बैंक के द्वारा लेन–दन में।

क्रम सं०	आर्थिक स्थिती	संख्या
1 2	बचत खाताहै	100
	बचत खाता नहीं है	00
1 2 3	कर्ज लिया है	05
	कर्ज नहीं लिया है	75
	गॉव के किसी पूंजीपति से कर्ज लिया गया है	20
1 2	ऑनलाईन (UPI)लेने–देन	15
	ऑनलाईन नहीं करते है	85

सारणी संख्या–5

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

इस शोध सारणी से पता चलता है कि श्रमिक के पास बचत खाता की संख्या–100 है जिसमे ज्यादातर जनधन योजना के समय खुला हुआ है। कर्ज के बार में पता चलता है कि श्रमिक लोगों को बैक से कर्ज नहीं मिलता है तो वैसे श्रमिक वर्ग के जिनकी थोड़ी बहुत खेत है नहीं खेत रहने पर बैक भी लोन नहीं देते है जिसकी संख्या है कर्ज लेने वाले की –05 और नहीं लेने वाले की संख्या–75 गॉव के लोगो से कर्ज लेने वाले की संख्या–20 है जिसमें कुछ उधार के रूप में कर्ज लेते है तो कुछ ब्याज पर कर्ज लेते है। ऑनलाईन लेन–देन करने वाले में से सिर्फ व्यस्क श्रमिक लाग है जिसकी संख्या–15 है। जिनकी अधिक आयु वाले लोग ऑनलाईन नहीं करते है जिसकी संख्या–85 है।

श्रमिको की सामान्य सामाजिक आर्थिक द□ा जानने का प्रयास :–

क्रम सं०	आर्थिक स्थिती	संख्या – 100
1	बच्चे स्कूल जाते है	86
	बच्चे स्कूल नहीं जाते है	14
2	घर पक्के सिमेंट है	99
	घर कच्चे/बिना सिमेंट के है	01
3	घर मे शौचालय है	89
	घर में शौचालय नहीं है	11
4	काम करने के लिए अपने औजार है	100
	या किराये के औजार के साथ काम करते है।	00

सारणी संख्या– 6

श्रमिको को प्राप्त होने वाली मजदूरी की दर :–

क्रम सं०	व्यक्ति/श्रमिक	मजदरी रकम में
1 2	मजदूर	300/400
	मिस्त्री	500/600

सारणी संख्या– 7

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सरकारी योजनाओं से लाभ लेने वाले लोग

क्रम सं०	सरकारी योजनाओं से लाभ	मजदूरी दर में
1 2	हाँ	66
	नहीं	13
3	पता नहीं	11
100		

सारणी संख्या– 8

अस्थावाँ प्रखण्ड के अन्तर्गत श्रमिको की प्रमुख समस्याएं :–

शोध प्रश्नावली के दौरान मजदूरों द्वारा बतलाई गई समस्या उन्हीं के शब्दों में।

1. काम करवा लेते हैं पैसे नहींदेते आज नहीं कल, कल नहीं परसों करते हैं।
2. मजदूरी समय पर नहीं मिलती नम्बर देख कर मोबाईल नहीं उठाते है।
3. धूप में बारिस में काम करना पड़ता है।
4. हाथ से कार्य करने पर सरकारी योजनओं मे अंगुठा नहीं मिलता ।
5. सरकारी मुफ्त राशन योजना में अनाज कम तौलते है।
6. रोज–राज काम नहीं मिलता है।
7. कई बार ठेकेदार पैसा खा जाता है।
8. प्रखण्ड मे काम नहीं मिलता है तो जिला मुख्यालय जाना पड़ता है।
9. बैंक से लोन नहीं मितला है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

निषकर्श और मुख्य बातें :–

1. स्त्री पुरूष श्रमिको को समान परिश्रमिक दृष्टिकोण से देखना चाहिये।
2. नगर में एक श्रमिक पंजीयन कार्यालय खोला जाय जहां पर सभी स्त्री पुरूष श्रमिक का डिजिटल पंजीयन किया जाये।
3. श्रमिक को डिजिटल कार्ड दिया जाय।
4. कार्यालय में ही श्रमिकों के द्वारा समस्त शिकायतों का समय पर निवारण किया जाये।
5. श्रमिकों को उनक कार्यस्थल पर सरकारी योजनाओं को जानकारी दी जाये।
6. निर्माण श्रमिकों के कार्यस्थल मालिकों और ठेकेदारों पर शासन को कठोरता से कार्यवाही करना चाहिए।
7. श्रमिको के परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य उपचार एवं बच्चो को मुफ्त शिक्षा देना चाहिए।
8. श्रमिको को सस्ती ब्याज पर ऋण का प्रबंध होना चाहिए।

संदर्भ सूची :–

1. श्रम अर्थशास्त्र एवं सामाजिक सुरक्षा – श्रीधर पाण्डेय
2. डा० वी० सी० सिन्हा एवं डा० पुष्पा सिन्हा – श्रम अर्थशास्त्र मयूर पेपर बैक्स
3. डा० कामेश्वर पंडित – श्रीम अर्थशास्त्र के नये आयाम, नोबलटी एण्ड कम्पनी, पटना
4. पी० एन० यादव, रचना कुमारो – सामुहिक सौदेबाजी एवं अर्न्तराष्ट्रीय श्रम आन्दोलन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
5. IJNRD. ORG,ISSN 2425-4184 निर्माण क्षेत्र के श्रमिको का सामाजिक आर्थिक अघ्ययन जबलपुर जिले के संदर्भ में, डा० संदीप कुर्मी
6. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पीआईबी दिल्ली, 05 फरवरी 2024
7. लेवर कोड
8. BOCW कल्याण बोर्ड
9. Nalanda District official site.
10. BOC श्रमिक पंजियन आकड़ा नालन्दा